सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री अंशुलसिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 21/2019 दायर दिनाँक 15.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. नवाब खां पुत्र ताजु खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री शरीफ खां, वकील, वादी।

दिनाँक 15.10.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद चौलु खां के खसरा सं0 327/495 रकबा 3/21 हैक्टयर वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त का अवस्थित है। उक्त खसरान में वादी का नाम सहवन से राजस्व रेकर्ड में नवाब खां की जगह नब्बु खां गलत इन्द्राज हो गया। चुंकि वादी को बचपन में नब्बु खां व नवाब खां के नाम से पुकारा जाता था। परन्तु आगे चलकर दस्तावेजों में वादी का नाम नवाब खां ही रहा व इसी अनुरूप वादी का नाम खातेदारी में आना था लेकिन भूलवंश वादी का नाम खेत की खातेदारी में नवाब खां की जगह नब्बू खां अंकित हो रखा है।

वादी का सही नाम वादी के महत्वपूर्ण सभी दस्तावेजों यथा बैंक पास बुक, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, बिजली का बिल, पेन कार्ड इत्यादि में नवाब खां अंकित है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 21/2019
दायर दिनाँक 15.01.2019, निर्णय दिनाँक 15.10.2019
नवाब खां बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद चौलु खां के खेत खसरा सं० 327/495 रकबा 3/21 हैक्टेयर की खातेदारी में वादी का गलत नाम नब्बु खां के स्थान पर वादी का सही नाम नवाब खां घोषित किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब प्राप्त हुआ। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौलु खां के खसरा सं० 327/495 रकबा 3.2100 हैक्टयर भूमि में वादी के सभी दस्तावेजों यथा बैंक पास बुक, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, बिजली का बिल, पेन कार्ड इत्यादि में नवाब खां अंकित है। अतः वादी का नाम नब्बुखां पुत्र ताजु खां के स्थान पर नाम नवाब खां पुत्र ताजु खां किया जाना उचित है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद चौलु खां के खेत खसरा सं० 327/495 रकबा 3/21 हैक्टेयर की खातेदारी में वादी का गलत नाम नब्बु खां पुत्र ताजु खां के स्थान पर वादी का सही नाम नवाब खां पुत्र ताजु खां दुरुस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(अंशुलसिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 15.10.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुलसिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुलसिंह, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 21/2019 दायर दिनाँक 15.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. नवाब खां पुत्र ताजु खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान—सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

दिनाँक 15.10.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ खां, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद चौलु खां के खेत खसरा सं0 327/495 रकबा 3/21 हैक्टेयर की खातेदारी में वादी का गलत नाम नब्बु खां पुत्र ताजु खां के स्थान पर वादी का सही नाम नवाब खां पुत्र ताजु खां दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—....... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसबब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.10.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—21—2019 / रीडर / 2019 /　　　　　　　　　दिनाँक

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्

रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. नवाब खां पुत्र ताजु खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. राजस्थान—सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.11.26 15:01:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: